# Sources of Agricultural Finance in India.

वे स्त्रोत जिनसे कृषकों को ऋण की सुविधाएँ प्राप्त होती हैं उन्हें निम्न दो भागों में विभाजित किया जा सकता है:—

(i) गैर-संस्थागत एजेंसियाँ अथवा परम्परागत संस्थाएँ,

(ii) संस्थागत एजेंसियाँ।

गैर-संस्थागत एजेंसियों में देशी महाजन, जमींदार, बड़े किसान, आदि सम्मिलित होते हैं।

संस्थागत एजेंसियों में सहकारी संस्थाएँ, वाणिज्य बैंक, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, कृषि एवं ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक आदि सम्मिलित होते हैं।

## साहूकार

ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकार 'पेशेवर' तथा 'गैर-पेशेवर' दो प्रकार के होते हैं। पेशेवर साहूकारों का मुख्य व्यवसाय उधार देना है जबकि 'गैर पेशेवर साहूकार' उधार देने के साथ-साथ कृषि कार्य या व्यापार भी करते हैं।

साहूकार या महाजन अपने क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय होते हैं। इस लोकप्रियता के निम्नलिखित कारण हैं:—

(i) दोनों ही कार्यों के लिए ग्रामीण साहूकार या

महाजन उत्पादन एवं उपभोग दोनों ही कार्यों के लिए ऋण देते हैं।

(ii) हर समय उपलब्ध :→ साहूकार की सेवाएं ग्रामीण ऋण लेनेवालों को हर समय उपलब्ध रहती हैं।

(iii) सरल पद्धति :→ साहूकारों द्वारा ऋण देते समय अधिक औपचारिकताएं नहीं करायी जाती हैं और ऋण देने में कम-से-कम समय लगाया जाता हैं।

(iv) वापसी पर जोर नहीं :→ साहूकार मूलधन की पुर्नभुगतान पर अधिक जोर नहीं देते यदि उन्हें समय पर ब्याज का भुगतान मिलता रहता हैं।

(v) जमानत :→ साहूकार बिना प्रतिभूतियों, गारण्टी के भी ऋण देते हैं।

(vi) तत्पर :→ साहूकार उस स्थिति में भी नया ऋण देने से इन्कार नहीं करता जबकि पहले ऋण का भुगतान नहीं हुआ हो।

(vii) पुराने ऋण का दबाव :→ पुराने ऋणों का दबाव बना रहने के कारण भी ग्रामीण समुदाय साहूकार से ऋण प्राप्त करने के लिए बाध्य होता हैं।

अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति के अनुसार कृषि साख का एक बहुत बड़ा भाग

साहूकारों द्वारा ही दिया जाता है। साहूकारों का कृषि साख में योगदान जो कि वर्ष 1961-62 में 85%. था वह वर्ष 2000-01 25%. तक आकलित किया गया है। जबकि वर्ष 2014-15 में इसका प्रतिशत घटकर 8.3%. रह गया है।

यह ठीक है कि कृषि साख में साहूकारों का प्रतिशत योगदान कम हुआ है लेकिन आज भी इनके द्वारा कृषकों को पर्याप्त मात्रा में साख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

आलोचनाएँ :→

साहूकारों की ओर से किसानों को मिलने वाले ऋणों के निम्नांकित दोष होते हैं। इन्हीं दोषों के आधार पर इनकी कटु आलोचना की जाती है:—

(i) ब्याज दर की अधिकता :→ साहूकार देय ऋणों पर बहुत ऊँची ब्याज दर वसूल करता है। यह दर 24%. से 50%. तक होती है।

(ii) अग्रिम ब्याज :→ अनेक साहूकार ऋण प्रदान करते समय ब्याज की गणना करके देय धन में से ही ब्याज की वसूली अग्रिम रूप से कर लेते हैं।

(iii) हिसाब में हेर-फेर :→ साहूकार ब्याज या ऋण ... वापसी की कोई रसीद

आदि ऋणों को नहीं देते तथा ब्याज आदि के गणना में भी हेर-फेर करते हैं। किसान की नासमझी व अशिक्षित होने का लाभ उठाकर अधिक राशि पर उसका अंगूठा लगवा लेते हैं।

(iv) बेगार करना :→ साहूकार से ऋण प्राप्ति के उपरान्त कृषक उससे नैतिक रूप से दब जाता है। इसका लाभ उठाकर वे उससे तथा उसके परिवारजनों से बेगार लेने लगते हैं।

अतः कृषकों पर ऋणों के बढ़ते हुए भार को कम करने एवं उन्हें साहूकारों के शोषणकारी प्रवृतियों से बचाने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं जो निम्नलिखित हैं :—

(i) दक्षिण कृषि अधिनियम, 1871;
(ii) कुसीदात्मक ऋण अधिनियम, 1918;
(iii) लेखों के नियमन का अधिनियम, 1930;
(iv) पंजाब ऋणग्रस्तता अधिनियम, 1934;
(v) महाजनों का पंजीयन एवं लाइसेन्स का अधिनियम, 1938।

कृषकों को वित्त उपलब्ध कराने के लिए अनेक विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना भी की गई है, जो निम्न हैं :→

(i) प्राथमिक सहकारी समितियाँ,
(ii) जिला सहकारी बैंक,

Scanned with CamScanner

(iii) राज्य सहकारी बैंक इत्यादि।

उदाहरण:

Scanned with CamScanner